



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8142 सन् 2026

विक्रम सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: राजीव कुमार राय, संजय कुमार राजभर

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आवेदन-पत्र के मेमो तथा प्रार्थना खंड में आवश्यक संशोधन दिन के दौरान किसी भी समय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार राय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या 19827 सन् 2025 (राज्य बनाम विक्रम सिंह एवं अन्य), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 461 सन् 2025 से उत्पन्न है, के समस्त कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर प्रदेश लघु खनिज (अनुदान) नियमावली, 2021 के नियम 3(1), 72(1) एवं 58 के अंतर्गत, थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर से संबंधित है, तथा दिनांक 21.12.2025 के आरोप पत्र एवं दिनांक 23.12.2025 के संज्ञान एवं समन आदेश को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है, जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर की न्यायालय में लंबित है।

4. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि खान निरीक्षक द्वारा आवेदक एवं सह-अभियुक्त सौरभ तिवारी के विरुद्ध दिनांक 26.04.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 0461 सन् 2025 के रूप में पंजीकृत किया गया, जो धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) भारतीय न्याय संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2)(d) तथा उत्तर प्रदेश लघु खनिज (अनुदान) नियमावली, 2021 के नियम 3(1), 58 एवं 72(1) के अंतर्गत, थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर में दर्ज किया गया। समुचित जांच के उपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तथापि आरोप पत्र के अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक को कथित अपराध की कोई जानकारी नहीं थी तथा संबंधित विभाग को शिकायत स्वयं आवेदक द्वारा की गई थी, किन्तु आवेदक की ओर से कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश लघु खनिज (अनुदान) नियमावली, 2021 के नियम 3(1), 58 एवं 72(1) के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों तथा सार्वजनिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संपत्ति को क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 23.12.2025 के आदेश के माध्यम से आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान ग्रहण किया गया। माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक के विरुद्ध केवल उत्तर प्रदेश लघु खनिज (अनुदान) नियमावली, 2021 के नियम 3(1), 58 एवं 72(1) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ग्रहण किया गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय मजिस्ट्रेट ने दिनांक 23.12.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध अपराध का संज्ञान गलत एवं अवैध रूप से ग्रहण किया है। माननीय मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक मन का प्रयोग नहीं किया और यांत्रिक रूप से उत्तर प्रदेश लघु खनिज (अनुदान) नियमावली, 2021 के नियम 3(1), 58 एवं 72(1) के अंतर्गत संज्ञान ग्रहण कर लिया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ग्रहण करके अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है तथा यह प्रस्तुत किया है कि संज्ञान आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. संदर्भ हेतु नियमावली, 2021 का नियम 76 निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



76. अपराधों का संज्ञान।— (1) किसी भी न्यायालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत न किया गया हो।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय इन नियमों के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

9. उपर्युक्त नियमावली, 2021 का उक्त नियम स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि इन नियमों के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि जिलाधिकारी द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया गया हो।

10. कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 14 एससीसी 331 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि मजिस्ट्रेट भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध के लिए केवल आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान ले सकता है, किन्तु अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपराध के लिए संज्ञान केवल उस स्थिति में लिया जा सकता है जब अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया हो। इस निर्णय का अनुच्छेद 16 निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:-

"16. उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में, हम उच्च न्यायालय के उस आदेश को सही ठहराते हैं, जिसके द्वारा धारा 379-क भारतीय दण्ड संहिता तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत अभियोजन एवं मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने से इनकार किया गया था। तथापि, हम यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्ट करते हैं कि खनिज एवं खनन विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 को धारा 4 के साथ पढ़ते हुए उसके अंतर्गत अभियोजन एवं संज्ञान, प्राधिकरण के अभाव में विधिसम्मत एवं उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, हमारे द्वारा विधिक प्रश्न का निर्णय करते हुए की गई टिप्पणियों को शिकायत में लगाए गए तथ्यात्मक आरोपों पर निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से अपना मन लगाएगा तथा आरोपों का निर्धारण विधि के अनुसार करेगा। उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में, अपील आंशिक रूप से अनुमन्य की जाती है, क्योंकि हमने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत अभियोजन एवं संज्ञान को यथावत् रखा है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जयंत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 2 एससीसी 670 के निर्णय में पुनः यह अवलोकन किया है कि भले ही पुलिस द्वारा जांच के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है, किन्तु अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपराध के लिए मजिस्ट्रेट केवल उस आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकता। आगे यह भी अवलोकित किया गया है कि मजिस्ट्रेट केवल तभी संज्ञान ले सकता है जब अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के साथ परिवाद प्रस्तुत किया गया हो। उपर्युक्त निर्णय के अनुच्छेद 21.3, 21.4 एवं 21.5 निम्नानुसार उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"21.3. भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध के किए जाने पर, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त

होने पर, संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट उक्त अपराध का संज्ञान बिना इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बात की प्रतीक्षा किए ले सकता है कि खनिज एवं खनन विकास विनियमन अधिनियम (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं।

21.4. खनिज एवं खनन विकास विनियमन अधिनियम (एम.एम.डी.आर. अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में, जब मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आदेश पारित कर संबंधित थाना प्रभारी/थाना अध्यक्ष को अपराध पंजीकृत करने/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देता है, तथा तत्पश्चात जांच के उपरांत थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित अधिकृत अधिकारी को भी प्रेषित किया जा सकता है। इसके पश्चात संबंधित अधिकृत अधिकारी, विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ, माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरांत, माननीय मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए एम.एम.डी.आर. अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान ग्रहण करे तथा प्रक्रिया/समन जारी करे। इस अवस्था पर यह कहा जा सकता है कि माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत संज्ञान ग्रहण किया गया है।

21.5. जिस मामले में उपधारा (1) धारा 23-ए के अनुसार उल्लंघनकर्ता को दंड के भुगतान पर अपराधों के शमन की अनुमति दी जाती है, एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 23-ए की उपधारा (2) के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे अपराधों के संबंध में जो एम.एम.डी.आर. अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शामित कर दिए गए हैं, अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। तथापि, धारा 23-ए की उपधारा (2) के अंतर्गत यह प्रतिबंध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों, जैसे धारा 379 एवं 414 भारतीय दण्ड संहिता, की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे मामलों में कार्यवाही आगे जारी रहेगी।

12. एक अन्य प्रकरण में, राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम संजय, (2014) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 772, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-70 में यह अवलोकन किया है कि अधिनियम, 1957 की धारा 22 के अनुसार अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ किया जा सकता है। उक्त निर्णय का पैरा -70 निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:-

"70. एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों तथा उसमें प्रदान किए गए उपायों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 4 तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन में खनन गतिविधि की जाती है, तो अधिनियम के अंतर्गत सशक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसमें क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना भी शामिल है। यह भी विवादित नहीं है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट केवल उस परिवाद के आधार पर संज्ञान लेगा जो विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। धारा 4 तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में, पुलिस अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर, जिसमें उक्त अधिनियम के उल्लंघन का आरोप हो, मजिस्ट्रेट से संज्ञान लेने का आग्रह नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 22 में निहित वह निषेध, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन केवल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही किया जा सकता है, केवल उसी स्थिति में लागू होता है जब ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन का आरोप हो, न कि उन किसी भी कृत्य या लोप के संबंध में जो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध गठित करता है।

13. यद्यपि उपर्युक्त प्रकरण अधिनियम, 1957 से संबंधित हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कार्यवाही आरोप पत्र के आधार पर नहीं चल सकती, तथापि वर्तमान मामले में आरोप पत्र नियमावली, 2021 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, किन्तु संज्ञान ग्रहण करने संबंधी प्रावधान एवं विधिक प्रतिबंध समान हैं। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त विधि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर भी पूर्णतः लागू होती है।

14. वर्तमान प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध केवल उत्तर प्रदेश लघु खनिज (अनुदान) नियमावली, 2021 के नियम 3(1), 58 एवं 72(1) के अंतर्गत ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के किसी भी प्रासंगिक प्रावधान के अंतर्गत कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विधि के स्थापित सिद्धांतों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट केवल आरोप पत्र के आधार पर नियमावली, 2021 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। संज्ञान केवल तभी लिया जा सकता है जब अधिकृत अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के साथ परिवाद प्रस्तुत किया जाए। माननीय मजिस्ट्रेट ने विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर आवेदक के विरुद्ध अवैध एवं अनुचित रूप से कार्यवाही की है तथा दिनांक 23.12.2025 के आदेश द्वारा संज्ञान ग्रहण करते समय नियमावली, 2021 के नियम 76 के अनिवार्य प्रावधानों पर विचार नहीं किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त वाद की समस्त कार्यवाही, दिनांक 21.12.2025 का आरोप पत्र तथा दिनांक 23.12.2025 का संज्ञान एवं समन आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

16. वर्तमान धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन अनुमन्य किया जाता है।

17. तथापि, संबंधित प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करें। ऐसी स्थिति में, माननीय मजिस्ट्रेट परिवाद वादों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

दिनांक : 18 मार्च, 2026

राधिका

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।